पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /7854/अका./2012 रायपुर, दिनाँक 23/07/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
5. प्रो. ए.के. शर्मा	–	सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
8. डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9. डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
10. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11. डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
12. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
13. श्री एस.के. चकवर्ती	–	सदस्य
14. डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
15. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
16. श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
17. डॉ. उज्ज्वल पाटनी	–	सदस्य
18. डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
19. श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
20. श्री रामजी भारती	–	सदस्य
21. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.05.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.05. 2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.05.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.05.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।**

(i) **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.05.2012 पूरक विषयसूची क्रमांक 8 पर वाहन क्रय के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार शीघ्र वाहन क्रय किया जावे।**

(ii) **जनसंपर्क अधिकारी एवं प्लेसमेंट ऑफिसर के पद हेतु चयन समिति गठन कर नियुक्ति संबंधी शीघ्र कार्यवाही की जाय।**

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 31 मई, 2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 31.05.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नानुसार निर्णय के साथ किया गया–**

"विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2012 के विषयसूची क्रमांक 3 में की गई अनुशंसा एम.कॉम. में मौखिकी एवं एम.ए. में लघुशोध वैकल्पिक रखने के प्रकरण पर औचित्य सहित विस्तृत टीप के साथ पुनः प्रस्तुत की जाय।"

विषय क्रमांक–5

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.06.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.06.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। संबंधित भवनों के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग से चर्चा की जाए।

विषय क्रमांक–6

परीक्षा, गोपनीय, मूल्यांकन इकाई एवं अन्य विभागों हेतु स्टेशनरी क्रय करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विचार करना ।

निर्णय : परीक्षा, गोपनीय, मूल्यांकन इकाई एवं अन्य विभागों हेतु स्टेशनरी क्रय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

— पूरक विषय सूची —

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। इसके साथ निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–**

(i) अशासकीय महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारण की जावे।

(ii) अशासकीय महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की सूची वेबसाईट में अपलोड करने हेतु समय समय पर निर्देशित किया जावे। संबंधित शिक्षकों के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर वेबसाइट पर इसका उल्लेख करते हुए अपडेट करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(iii) सभी अशासकीय महाविद्यालय को सूचित किया जावे कि 3 माह के अंदर परिनियम 28 के अन्तर्गत परिनियम 27 के अनुसार निर्धारित शिक्षकीय स्टाफ के नियुक्त करे अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्धता निलंबित करने अथवा संबंद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जावेगी।

(iv) जिन अशासकीय महाविद्यालय द्वारा आवश्यक अधोसंरचना एवं परिनियम 27 के अनुसार अनिवार्य शिक्षकीय पदों पर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति पूरी करता है, उन्हें कुलपति की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों को दिनांक 01.07.2012 से महंगाई भत्ता का भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों को दिनांक 01.07.2012 से शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–3

वार्षिक एवं पूरक सत्र 2013 के परीक्षा फार्म मुद्रण एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक एवं पूरक सत्र 2013 के परीक्षा फार्म मुद्रण एवं वर्ष 2013 के परीक्षाओं के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य पूर्व वर्षों की दर पर मेसर्स, ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग, इंदौर, मध्यप्रदेश से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–4

विषय क्रमांक–4

गोपनीय विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : **गोपनीय विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जो निम्नानुसार हैः–**

क्र.	विवरण	अनुमोदित दर
1.	**पुनर्मुल्यांकन इकाई :**	
	अ. समन्वयक	250-00
	ब. सहा. समन्वयक	200-00
	स. कार्यालय सहा. (लिपिक)	080-00
	द. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	060-00
2.	संग्रहण केन्द्र (महाविद्यालय के लिए) :	
	अ. संग्रहण प्रभारी	125-00
	ब. लिपिक	050-00
	स. चतुर्थ वर्ग	040-00
3.	प्रश्नपत्र वितरण कार्य (महाविद्यालय के लिए) :	
	अ. समन्वयक (तीनों पाली हेतु)	250-00
	ब. सहा. समन्व्यक (प्रति पाली हेतु)	075-00
	स. लिपिक (तीनों पाली हेतु)	065-00
	द. चतुर्थ वर्ग	045-00
4.	पुनर्मूल्यांकन कार्य (गोपनीय विभाग) :	
	अ. तृतीय वर्ग कर्मचारी	005-00 (प्र.उ.पु.)
	ब. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	001-50 (प्र.उ.पु.)
	स. कम्प्यूटर के माध्यम से रोल लिस्ट तैयार करने पर	000-50 (प्र.उ.पु.)
	द. उत्तरपुस्तिका कोड–डी.कोड.	000-25 (प्र.उ.पु.)
5.	रोके गये परिणाम	
	अ. टी.आर. त्रुटि सुधार (अधिकारी वर्ग)	002-00
	ब. परीक्षाफल तैयार करवाना (तृतीय वर्ग)	000-30
	स. परिणाम टंकण कार्य (तृतीय वर्ग)	000-80
	द. परीक्षा परिणाम की जाँच कराना (दो) (प्रति कर्मचारी)	000-30
	ई. अंक ढूंढना एवं चार्ट में रखना (चतुर्थ व.)	000-30
6.	आदेशानुसार प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य :	
	अ. प्रश्नपत्र रचना को कम्प्यूटर द्वारा तैयार करना (प्रति कोड)	100-00
	ब. प्रुफ रीडिंग (प्रति कोड)	100-00
	स. पैकिंग एवं अन्य कार्य (प्रति कोड)	050-00
7.	जोखिम भत्ता (प्रश्नपत्र एवं प्राप्तांकों को पहुचाने हेतु):	
	अ. तृतीय वर्ग	060-00
	ब. चतुर्थ वर्ग	040-00
8.	पुनर्गणना कार्य : शिक्षक / अधिकारी वर्ग (प्रति उ.पु.)	002-00
9.	परीक्षा कार्य हेतु वि.वि. द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकः	
	अ. प्रतिपाली	100-00
	ब. अधिकतम	250-00

डॉ. हेमलता बोरकर, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला को दिनांक 16.06.2012 से 28.10.2012 तक 135 दिनों का मातृत्व अवकाश के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय : **डॉ. हेमलता बोरकर, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला को प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2012 से 28.10.2012 तक 135 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :–

1. अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद के चयन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार प्राचार्य पद पर डॉ.(श्रीमती) रीता सोरी के नाम का अनुमोदन किया गया।
2. ट्राइबल भवन एवं बायोटेक्नोलाजी भवन के मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्त रिपोर्ट की सूचना ग्रहण किया गया। अन्य भवनों के मुल्यांकन रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त किया जाकर सभी प्रकरण एक साथ भवन निर्माण समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।
3. कुलपति द्वारा नेशनल सेंटर फार नेचुरल रिसोर्सेस (NCNR) की स्वीकृति DST से प्राप्त होने की सूचना देते हुए सभी सदस्यों को अवगत कराया कि NCNR प्रोजेक्ट के तहत् कुल रू 9,05,00000.00 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्य मद के लिए रू 6,45,00,000.00 समान्य मद के लिए रू 2,60,00,000.00, 3 वर्षो के लिए व्यय हेतु रीलिज किया है। सभी सदस्यों द्वारा इस उपलब्धि के लिए कुलपति को कार्यपरिषद की ओर से बधाई दी।
4. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.5.2012 में हुए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की अधिसूचना दिनांक 7.6.2012 द्वारा अध्यादेश 45 एवं संशोधित अध्यादेश 45 में संमतुल्यता निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा, की सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण विद्या परिषद/स्थायी समिति में प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ.कमांक 1855/अका./का.प./2012

रायपुर, दिनांक 23/07/2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

23/7/12